अधिकारी

[न्या]यालय उपखण्ड .... कठूमर जिला अलवर

[नंबर] [अधि]वक्ता का [नं]. 2/65/2021 तारीख रजू........................

रीना **बनाम** मेदी वगैरा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
28.05.2021	वकील प्रार्थी उपस्थित। यह प्रार्थना पत्र 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम वकील प्रार्थी ने मूल वाद के साथ पेश किया। प्रार्थना पत्र की ताईद मे वकील सायला ने शपथ पत्र ,नकल जमाबंदी हाल पेश की व अप्रार्थीगण को पाबंद कराने का निवेदन किया वकील सायल को एक पक्षीय सुना गया व पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया । प्रथम दृष्टया केस व सुविधा का संतुलन एवं ना पूर्ति होने वाली क्षति सायल के पक्ष में बखूबी सावित है। अतः अप्रार्थीगण को जर्ये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आगामी पेशी/तारीख तक पाबंद किया जाता है कि आराजी ख0 नम्वर 117, 119, 423, 490, 491, 492, 493, 494, 495, वाके ग्राम बमनपुरा तहसील कठूमर के विवादीत आराजीयात के रिकॉर्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखें। अप्रार्थीगण को नोटिस हो कि उक्त आदेश बाबत् कोई उज्र हो तो दिनांक 10.08.2021 को पेश करें कि क्यों ना उक्त आदेश को दावा के निर्णय तक स्थाई कर दिया जावें। अप्रार्थीगण जरिये नोटिस तलब हो पत्रावली दिनांक 10.08.2021 को वास्ते तलबी अप्रार्थीगण पेश हो। (Sd/-) उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर) उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)	
10/8/21	अनुपालना कोविड-19 एस.ओ.पी./P.O. [illegible] पत्रावली दिनांक 16/12/21 को पेश हो। (Sd/-)	
16/12/21	पत्रावली 12/21 कैम्प कोर्ट में पेश हुई। पक्षकारान .... [illegible] .... नहीं होने के कारण प्रकरण का [illegible] नहीं हो सका। अत पत्रावली दिनांक 20/1/22 को न्यायालय हाजा में पेश हो (Sd/-) उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)	

रीना बनाम मेहो वगैरा।

...ख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
7/6/22	वकुलाय उपस्थित। अप्रार्थी विमला-2 मौजूद। तामील उपस्थित नहीं उनके खिलाफ एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है पत्रावली पर बहस वकुलाय सुनी गई वास्ते आदेश दिनांक 10/6/22 को पेश हो।	
10/6/22	वकुलाय उप०। सायला अपने प्रा० पत्र को साबित करने में असफल रही है। अतः सायला का प्रा० पत्र साबित ना होने से अस्वीकार कर खारिज किया जाता है पत्रावली पर जारी स्टे आदेश दिनांक 28.5.2021 वेकेट किया जाता है निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शा० कि० किया गया। प्रार्थना-पत्र मय मिसल शुमार होकर नम्बर से कम होवे बाद तकमील जुम्ला कार्य के साथ संलग्न रहे। सुनाया। उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)	
17.6.22	पत्रावली आज वकील अप्रार्थी के प्रार्थना पत्र पर तलब होकर पेश हुई वकील अप्रार्थी ने प्रार्थना पत्र पेश कर निर्णय दिनांक 10.6.22 में लिपकीय भूल से खसरा नम्बर 491, डबल बार लिख गया है। जिसको हटाये जाने का निवेदन किया आराजी खसरा नम्बर 423, 492, लिपकीय भूल से निर्णय में अंकित करने से रह गये हैं जिनको जोड़े जाने का निवेदन किया। प्रार्थना-पत्र/पत्रावली/निर्णय का अवलोकन किया। प्रार्थना-पत्र अप्रार्थी का स्वीकार किया जाकर निर्णय में संशोधन कर आराजी खसरा नम्बर 492, 423, को निर्णय के साथ यहा जोड़ें एवं ख० 491, डबल में से एक को हटाया जाता है। संशोधित निर्णय जारी हो। निर्णय पृथक से संशोधन कर शा० कि० किया गया। उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

पीठासीन अधिकारी श्री रामकिशोर मीना आर ए एस

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 02/65/2021

वउनवान

1. रीना पुत्री स्वं0 श्री महाराजसिंह पत्नी लोकेन्द्रसिंह जाति जाट निवासी बमनपुरा तहसील कठूमर हालवासी ग्राम थून तहसील नगर जिला भरतपुर

——— सायला

बनाम

1. मेदी पुत्र श्री लटूर जाति जाट निवासी बमनपुरा तहसील कठूमर ज़िला अलवर
2. उप पंजीयक कठूमर तहसील कठूमर

गैरसायलान

दर0 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित :–

श्री धनश्याम शर्मा –

श्री कृपादयाल शर्मा –अधिवक्तागण सायलान की ओर से

श्री कृपा शंकर शर्मा अधिवक्ता– गैरसायल सं0 1 की ओर से

आदेश

दिनांक 10.06.2022.~~2022~~

सायला द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि आराजी खसरा नम्बर 117, 119, 490, 491, 491, 493, 494, 495 किता 9 रकवा 6.16 हे. ग्राम बमनपुरा तहसील कठूमर में स्थित हैं। सायला एंव गैरसायल सं0 1 व तरतीवी प्रतिवादी सं0 3 ला0 13 एक ही संयुक्त हिन्दु परिवार के सदस्य है। सायल एंव गैरसायल सं0 1 का सजरा

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)

सायला ने प्रार्थना पत्र के पैरा सं0 2 में दर्ज है। मेदा सायला का दादा लगता है तथा महाराजसिंह मेदा का पुत्र व सायला का पिता लगता है। सायला के पिता महाराजसिंह व मां सुशीला थी। जिनके संसर्ग से एक पुत्री सायला पैदा हुई। सायला के पिता महाराजसिंह का आज से करीब 15 साल पहले स्वर्गवास हो चुका है। उस समय सायला की उम्र 6–7 साल थी। सायला के पिता का स्वर्गवास हो जाने पर सायला की मां सायला को छोडकर कहीं चली गई। मृतक महाराजसिंह की एक मात्र वारिस पुत्री सायला ही है। उपरोक्त विवादित आराजी सायला के दादा मेदी व पडदादा लटूर की पैदा कर्दा आराजी है। इस वजह से विवादित आराजी पैत्रिक आराज़ी है। जिसमें सायला को जन्म से ही यानि बाई बर्थ हक व अधिकार पैदा हो चुके है। विवादित आराजी में सायला के पिता का 1/6 हिस्सा था जिस पर वो आजीवन काविज रहकर काश्त करते रहे उनके फौत हो जाने पर विवादित आराजी के 1/6 हिस्सा पर सायला काविज रहकर काश्त करती चली आ रही है शेष 5/6 हिस्सा पर तरतीवी प्रतिवादीगण का कब्जा है। हाल राजस्व रेकार्ड में विवादित आराजी वावत गैरसायल सं0 1 के नाम दर्ज रहने से सायला के हक हकूकों विपरीत असर पड रहा है। हाल राजस्व रेकार्ड के आधार पर गैरसायल सं0 1 सायला के कब्जे काश्त में बाधा पैदा करता है तथा रहन वय करने की धमकी देता है। यदि गैरसायल ने ऐसा कर दिया तो सायला को अपार हानि होगी जिसकी पूर्ति पैसो में संभव नहीं है। अतः सायला ने प्रार्थना पत्र स्वीकार कर गैरसायलान को ता फैसला दावा पाबन्द कराने का निवेदन किया है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायलान को जरिये नोटिस तलव किया गया।

गैरसायल सं0 1 ने हाजिर अदालत होकर अपना जवाव प्रार्थना पत्र पेश कर कथन किया कि वाद वर्णित आराजी विवादित नहीं है सजरा गलत अंकित

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)

किया है सही सजरा जवाव दावा के पैरा सं0 3 में अंकित किया है। सायला ने विवादित आराजी में हिस्सा भी गलत अंकित किये है। विवादित आराजी में वर्णित आराजी में सायला का 1/6 हिस्सा ना होकर 1/7 हिस्सा है। जिस 1/7 हिस्सा की आराजी में से 4 वीघा 10 विस्वा भूमि को दिनाक 24.11.2014 को तथा 1 वीघा भूमि को दिनांक 15.01.2018 को गैरसायल सं0 1 ने सायला के कहने पर वेचान कर दिया जिसकी प्रतिफल की राशि सायला ने प्राप्त की है तथा इस वेचान के वाद सायला ने अपना हिस्सा खत्म कर लिया विवादित आराजी में सायला का कोई हिस्सा शेष नहीं बचा है। गैरसायल अपने हिस्सा की आराजी पर काविज रहकर काश्त कर रहा है। सायला का विवादित आराजी पर कोई कब्जा काश्त हक हिस्सा नहीं है। सायला ने बेईमानी पूर्वक सही तथ्यों को छुपाकर मुकदमा अदालत श्रीमान में पेश किया है। सायला गैरसायला सं0 1 से अपना हिस्सा विकवाकर रकम प्राप्त कर अपना हिस्सा समाप्त कर चुकी है। वेईमानी की नियत से प्रार्थना पत्र पेश किया है। यदि गैरसायल को पावन्द करदिया तो अपार हानि व क्षति सायला को ना होकर गैरसायल को होगी। अतः सायला का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

सायला ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में नकल जमाबन्दी संवत् 2076 से 2079 वाके ग्राम बमनपुरा की सत्यप्रतिलिपी पेश की है। जो शामिल पत्रावली है।

वहस सुनी गई। सायला को अपने प्रार्थना पत्र को अपने पक्ष में सावित करने के लिये निम्न तीन विन्दुओं को अपने पक्ष में सावित कराना है।

प्रथम दृष्टा केस

सुविधा का सन्तुलन

ना पूर्ति होने वाली क्षति

सायला ने अपने प्रार्थना पत्र को सावित करने के लिये जमाबन्दी हाल ग्राम बमनपुरा की सत्यप्रतिलिपी पेश की है। अधिवक्ता सायला ने अपनी वहस में मुख्य रूप से अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को ही दोहराते हुये कथन किया कि

उपखण्ड अधिकारी
कोटपूतली (अलवर)

विवादित सायला के दादा मेदी व पडदादा लटूर की पैदा कर्दा आराजी होने से पैत्रिक आराजी है। जिसमें सायला को जन्म से ही हक व अधिकार पैदा हो जाते है। विवादित आराजी में सायला का 1/6 हिस्सा है जिस पर सायला काविज रहकर काश्त कर रही है। हाल राजस्व रेकार्ड में विवादित आराजी गैरसायल सं0 1की खातेदारी में दर्ज रहने से सायला के हक हकूकों पर विपरीत असर पड रहा है। गलत इन्द्राज की आड में गैरसायल के कब्जे काश्त में बाधा पैदा करता है। अतः सायला ने प्रार्थना पत्र स्वीकार कर गैरसायलान को ता फैसला दावा स्थगन आदेश से पाबन्द किये जाने की प्रार्थना की है।

विद्वान अधिवक्ता गैरसायलान ने अपनी बहस के दौरान कथन किया कि विवादित आराजी पैत्रिक हो इस सम्बन्ध में सायला ने कोई प्रमाणित दस्तावेज पेश नहीं किया है। सायला ने सजरा गलत अकित किया है। सायला अपने हिस्सा की आराजी को गेरसायल सं0 1 से विकवाकर रकम प्राप्त कर चुकी है अव कोई हक हिस्सा विवादित आराजी में शेष नहीं है। सायला का विवादित आराजी पर कोई हक हिस्सा व अधिकार नहीं है। गलत तथ्यों के आधार पर सायला ने प्रार्थना पत्र पेश किया है। विवादित आराजी पैत्रिक नहीं है। सायला को किसी तरह का नुकशान व क्षति नहीं होती है इस वजह से प्रार्थना पत्र सायला खारिज किया जावे।

हमने पत्रावली के तथ्यों, सायला द्वारा प्रस्तुत जमाबन्दी हाल तथा गैरसायलान द्वारा प्रस्तुत हाल व साविक रेवन्यु रेकार्ड का अवलोकन किया। सायला ने अपने प्रार्थना पत्र को सावित करने के लिये जमाबन्दी संवत् 2076 से 2079 वाके ग्राम बंमनपुरा की सत्यप्रतिलिपी पेश की है। सायला ने विवादित आराजी को पैत्रिक होना कथन किया है लेकिन विवादित आराजी पैत्रिक हो इस तरह का सायला ने कोई प्रमाणित दस्तावेज पेश नहीं किया है। गैरसायल सं0 1 विवदित आराजी का खातेदार काश्तकार है। सायला को किस तरह का नुकशान व क्षति हो रही है

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)

सावित करने में असफल रही है। यदि गैरसायल को पाबन्द कर दिया गया तो गैरसायल को नुकशान व अपार हानि संभव है। सायला को किसी तरह का नुकशान व क्षति होती हो इस तरह की स्थिति अदालत के समक्ष नही है। प्रथम दृष्टा केस सुविधा का सन्तुलन एंव ना पूर्ति होने वाली क्षति सायला के पक्ष में सावित ना होकर गैरसायल के पक्ष में सावित है। अतः सायला का प्रार्थना पत्र सावित ना होने से अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। पत्रावली पर जारी स्टे आदेश दिनांक 28.05.2021 वेकेट किया जाता है। प्रार्थना पत्र फैसल सुमार होकर नम्बर से कम होकर मूल वाद के साथ संलग्न हो।

रामकिशोर मीना
उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)

आज दिनांक 10.06.2022 को यह आदेश मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

रामकिशोर मीना
उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)

संशोधित निर्णय

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

पीठासीन अधिकारी श्री रामकि ोर मीना आर ए एस

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 02/65/2021

वउनवान

1. रीना पुत्री स्वं0 श्री महाराजसिंह पत्नी लोकेन्द्रसिंह जाति जाट निवासी बमनपुरा तहसील कठूमर हालवासी ग्राम थून तहसील नगर जिला भरतपुर

------ सायला

बनाम

1. मेदी पुत्र श्री लटूर जाति जाट निवासी बमनपुरा तहसील कठूमर जिला अलवर
2. उप पंजीयक कठूमर तहसील कठूमर

गैरसायलान

दर0 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित :–

श्री धनश्याम शर्मा–

श्री कृपादयाल शर्मा –अधिवक्तागण सायलान की ओर से

श्री कृपा भांकर शर्मा अधिवक्ता– गैरसायल सं0 1 की ओर से

आदेश

दिनांक 17.06.2022

सायला द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि आराजी खसरा नम्बर 117, 119, 423, 490, 491, 492, 493, 494, 495 किता 9 रकवा 6.16 हे. ग्राम बमनपुरा तहसील कठूमर में स्थित हैं। सायला एंव गैरसायल सं0 1 व तरतीवी प्रतिवादी सं0 3 ला0 13 एक ही संयुक्त हिन्दु परिवार के सदस्य है। सायल एंव गैरसायल सं0 1 का सजरा

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)

सायला ने प्रार्थना पत्र के पैरा सं0 2 में दर्ज है। मेदा सायला का दादा लगता है तथा महाराजसिंह मेदा का पुत्र व सायला का पिता लगता है। सायला के पिता महाराजसिंह व मां सुशीला थी। जिनके संसर्ग से एक पुत्री सायला पैदा हुई। सायला के पिता महाराजसिंह का आज से करीब 15 साल पहले स्वर्गवास हो चुका है। उस समय सायला की उम्र 6–7 साल थी। सायला के पिता का स्वर्गवास हो जाने पर सायला की मां सायला को छोडकर कहीं चली गई। मृतक महाराजसिंह की एक मात्र वारिस पुत्री सायला ही है। उपरोक्त विवादित आराजी सायला के दादा मेदी व पडदादा लटूर की पैदा कर्दा आराजी है। इस वजह से विवादित आराजी पैत्रिक आराजी है। जिसमें सायला को जन्म से ही यानि बाई बर्थ हक व अधिकार पैदा हो चुके है। विवादित आराजी में सायला के पिता का 1/6 हिस्सा था जिस पर वो आजीवन काविज रहकर काश्त करते रहे उनके फौत हो जाने पर विवादित आराजी के 1/6 हिस्सा पर सायला काविज रहकर काश्त करती चली आ रही है शेष 5/6 हिस्सा पर तरतीवी प्रतिवादीगण का कब्जा है। हाल राजस्व रेकार्ड में विवादित आराजी वावत गैरसायल सं0 1 के नाम दर्ज रहने से सायला के हक हकूकों विपरीत असर पड रहा है। हाल राजस्व रेकार्ड के आधार पर गैरसायल सं0 1 सायला के कब्जे काश्त में बाधा पैदा करता है तथा रहन वय करने की धमकी देता है। यदि गैरसायल ने ऐसा कर दिया तो सायला को अपार हानि होगी जिसकी पूर्ति पैसो में संभव नहीं है। अतः सायला ने प्रार्थना पत्र स्वीकार कर गैरसायलान को ता फैसला दावा पाबन्द कराने का निवेदन किया है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायलान को जरिये नोटिस तलव किया गया।

गैरसायल सं0 1 ने हाजिर अदालत होकर अपना जवाव प्रार्थना पत्र पेश कर कथन किया कि वाद वर्णित आराजी विवादित नहीं है सजरा गलत अंकित

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)

किया है सही सजरा जवाव दावा के पैरा सं0 3 में अंकित किया है। सायला ने विवादित आराजी में हिस्सा भी गलत अंकित किये है। विवादित आराजी में वर्णित आराजी में सायला का 1/6 हिस्सा ना होकर 1/7 हिस्सा है। जिस 1/7 हिस्सा की आराजी में से 4 वीघा 10 विस्वा भूमि को दिनाक 24.11.2014 को तथा 1 वीघा भूमि को दिनांक 15.01.2018 को गैरसायल सं0 1 ने सायला के कहने पर वेचान कर दिया जिसकी प्रतिफल की राशि सायला ने प्राप्त की है तथा इस वेचान के वाद सायला ने अपना हिस्सा खत्म कर लिया विवादित आराजी में सायला का कोई हिस्सा शेष नहीं बचा है। गैरसायल अपने हिस्सा की आराजी पर काविज रहकर काश्त कर रहा है। सायला का विवादित आराजी पर कोई कब्जा काश्त हक हिस्सा नहीं है। सायला ने बेईमानी पूर्वक सही तथ्यों को छुपाकर मुकदमा अदालत श्रीमान में पेश किया है। सायला गैरसायला सं0 1 से अपना हिस्सा विकवाकर रकम प्राप्त कर अपना हिस्सा समाप्त कर चुकी है। वेईमानी की नियत से प्रार्थना पत्र पेश किया है। यदि गैरसायल को पावन्द कर दिया तो अपार हानि व क्षति सायला को ना होकर गैरसायल को होगी। अतः सायला का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

सायलाने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में नकल जमाबन्दी संवत् 2076 से 2079 वाके ग्राम बमनपुरा की सत्यप्रतिलिपी पेश की है। जो शामिल पत्रावली है।

वहस सुनी गई। सायला को अपने प्रार्थना पत्र को अपने पक्ष में सावित करने केलियेनिम्नतीनविन्दुओं को अपने पक्ष में सावित कराना है।

प्रथम दृश्टा केस

सुविधा का सन्तुलन

ना पूर्ति होने वाली क्षति

सायला ने अपने प्रार्थना पत्र को सावित करने के लिये जमाबन्दी हाल ग्राम बमनपुरा की सत्यप्रतिलिपी पेश की है। अधिवक्ता सायला ने अपनी वहस में मुख्य रूप से अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को ही दोहराते हुये कथन किया कि

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)

विवादित सायला के दादा मेदी व पडदादा लटूर की पैदा कर्दा आराजी होने से पैत्रिक आराजी है। जिसमें सायला को जन्म से ही हक व अधिकार पैदा हो जाते है। विवादित आराजी में सायला का 1/6 हिस्सा है जिस पर सायला काविज रहकर का त कर रही है। हाल राजस्व रेकार्ड में विवादित आराजी गैरसायल सं0 1की खातेदारी में दर्ज रहने से सायला के हक हकूकों पर विपरीत असर पड रहा है। गलत इन्द्राज की आड में गैरसायल के कब्जे का त में बाधा पैदा करता है। अतः सायला ने प्रार्थना पत्र स्वीकार कर गैरसायलान को ता फैसला दावा स्थगन आदेश से पाबन्द किये जाने की प्रार्थना की है।

विद्वान अधिवक्ता गैरसायलान ने अपनी वहस के दौरान कथन किया कि विवादित आराजी पैत्रिक हो इस सम्बन्ध में सायला ने कोई प्रमाणित दस्तावेज पेश नहीं किया है। सायला ने सजरा गलत अकित किया है। सायला अपने हिस्सा की आराजी को गेरसायल सं0 1 से विकवाकर रकम प्राप्त कर चुकी है अव कोई हक हिस्सा विवादित आराजी में भोश नहीं है। सायला का विवादित आराजी पर कोई हक हिस्सा व अधिकार नहीं है। गलत तथ्यों के आधार पर सायला ने प्रार्थना पत्र पेश किया है। विवादित आराजी पैत्रिक नहीं है।सायला को किसी तरह का नुकशान व क्षति नहीं होती है इस वजह से प्रार्थना पत्र सायला खारिज किया जावे।

हमने पत्रावली के तथ्यों, सायला द्वारा प्रस्तुत जमाबन्दी हाल तथा गैरसायलान द्वारा प्रस्तुत हाल व साविक रेवन्यु रेकार्ड का अवलोकन किया। सायला ने अपने प्रार्थना पत्र को सावित करने के लिये जमाबन्दी संवत् 2076 से 2079 वाके ग्राम बमनपुरा की सत्यप्रतिलिपी पेश की है। सायला ने विवादित आराजी को पैत्रिक होना कथन किया है लेकिन विवादित आराजी पैत्रिक हो इस तरह का सायला ने कोई प्रमाणित दस्तावेज पेश नहीं किया है। गैरसायल सं0 1 विवदित आराजी का खातेदार काश्तकार है। सायला को किस तरह का नुकशान व क्षति हो रही है

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)

सावित करने में असफल रही है।यदि गैरसायल को पाबन्द कर दिया गया तो गैरसायल को नुक ाान व अपार हानि संभव है। सायला को किसी तरह का नुक ाान व क्षति होती हो इस तरह की स्थिति अदालत के समक्ष नही है। प्रथम दृश्टा केस सुविधा का सन्तुलन एंव ना पूर्ति होने वाली क्षति सायला के पक्ष में सावित ना होकर गैरसायल के पक्ष में सावित है। अतः सायला का प्रार्थना पत्र सावित ना होने से अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। पत्रावली पर जारी स्टे आदेश दिनांक 28.05.2021 वेकेट किया जाता है।प्रार्थना पत्र फैसल सुमार होकर नम्बर से कम होकर मूल वाद के साथ संलग्न हों।

रामकिशोर मीना
उपखण्ड अधिकारी, कठूमर (अलवर)

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)

आज दिनांक 17.06.2022 को यह आदेश मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

रामकिशोर मीना
उपखण्ड अधिकारी, कठूमर (अलवर)

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)